

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

भू-अर्जन प्रकरण क्र0 51/अ-82/2017-18

ग्राम कोटरीमाल तहसील घरघोड़ा

ईशतहार

महाप्रबंधक,
एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली
बनाम

—आवेदक

छ0ग0शासन


—अनावेदक

ग्राम कोटरीमाल तहसील घरघोड़ा की निजी भूमि (कुल रकबा 2.470 हे0) कोल माईस परियोजना तक सड़क चौड़ीकरण मार्ग हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत एस0आई0ए0 निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच पश्चात् अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईशतहार के साथ पृथक से संलग्न है)

तदनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर दिया गया अभिमत ईशतहार के माध्यम से ग्राम में प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 29.09.2018 तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।




अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

प्रतिलिपि तहसील कार्यालय, घरघोड़ा के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

टीप— सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत अभिमत की प्रति कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विशेषज्ञ दल द्वारा आंकलन:-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्र. 14450/भू-अर्जन/2018 रायगढ़ दिनांक 24/08/2018 के अनुसार धारा -7 के द्वारा विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। इसके अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के आदेश क्र. क/वाचक-1/2018 घरघोड़ा दिनांक 04/09/2018 के आदेशानुसार दिनांक 13/09/2018 को रायगढ़ में बैठक आयोजित की गई जिसमें दल के सदस्य उपस्थित थे।

विशेषज्ञ दल के सदस्यों ने ग्राम वार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में गठित सामाजिक दल की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया एवं विचार विमर्श के उपरांत विस्तृत अंकन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

यह प्रस्तावित अधिग्रहण कोटरीमाल से रायकेरा कुल 3.41 कि.मी. दूरी के मार्ग के सड़क चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है जितमें कुल 03 ग्रामों की निजी भूमि अर्जित करने की आवश्यकता है।

ग्राम - कोटरीमाल तहसील घरघोड़ा, के अंतर्गत आता है। यह ग्राम अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है अतः इसमें PESA (पंचायत उपबंध, अनुसूचि क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996) के प्रावधान लागु होते हैं। तदानुसार ग्राम में सामाजिक समाघात दल के तत्वावधान में ग्रामसभा आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी देते हुए उनसे प्रस्तावित भू-अधिग्रहण अधिनियम बावत् प्रभावितों की सहमति प्राप्त की गई जो कि संलग्न है। प्रभावितों की कुछ शंकाएँ थी जिसका समाधान किया जा चुका है। (विवरण संलग्न)

इस प्रकरण में ग्राम में कुल 2.470 हे. भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें 17 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 36 है इनमें 31 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के 01 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 04 व्यक्ति सामान्य वर्ग के हैं। चूँकि यह सड़क चौड़ीकरण का प्रकरण है इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण का स्वरूप रेखीय (Linear) है। ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकबा कम होता है परन्तु प्रभावितों की संख्या अधिक होती है। जो कि इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण में केवल 2.470 हे. है। जबकि प्रभावित खातेदार की संख्या 17 है। इसमें एक खातेदार के प्रस्तावित अधिग्रहण की अधिकतम सीमा 0.474 हे. एवं न्यूनतम सीमा 0.004 हे. है। स्पष्ट ही किसी भी व्यक्ति के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है कि उस दल पर विपरीत प्रभाव पड़े। यह स्थिति संलग्न मुआवजा पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट हो जाती है। प्रस्तावित अधिग्रहण से होने वाले प्रभावितों से लिए जा रहे भूमि का विवरण एवं उनके द्वारा धारित भूमि के कुल रकबे के अवलोकन से यह स्थिति मलिभाँति स्पष्ट हो जाती है।

नक्शों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि, सड़क चौड़ीकरण में खसरा नं. 348/1 से रकबा 0.058 हे., खसरा नं. 360 से रकबा 0.474 हे., खसरा नं. 362/2 से रकबा 0.047 हे., खसरा नं. 362/1 से रकबा 0.073 हे., खसरा नं. 362/3 से रकबा 0.028 हे., खसरा नं. 363 से रकबा 0.028 हे., खसरा नं. 441 से रकबा 0.091 हे., खसरा नं. 447 से रकबा 0.156 हे., खसरा नं. 351/1 से रकबा 0.105 हे., खसरा नं. 416/2 से रकबा 0.311 हे., खसरा नं. 416/4 से रकबा 0.120 हे., खसरा नं. 416/5 से रकबा 0.067 हे., खसरा नं. 440/1 से रकबा 0.357 हे., खसरा नं. 440/2 से रकबा 0.070 हे., खसरा नं. 449/2 से रकबा 0.067 हे., खसरा नं. 449/4 से रकबा 0.368 हे., खसरा नं. 451/1 से रकबा 0.046 हे. खसरा नं. 452 से रकबा 0.004 हे. प्रभावित हो रहा है।

(1) प्रस्तावित अधिग्रहण का उद्देश्य :- प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य वर्तमान प्रचलित मार्ग की चौड़ाई बढ़ाना है जो बढ़ते परिवहन /आवागमन की आवश्यकताओं को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है।

यह योजना एनटीपीसी लिमिटेड की योजना है, एनटीपीसी भारत शासन का एक उपक्रम है जो विद्युतउत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी उपक्रम है और विद्युतउत्पादन सामान्य विकास के लिये अत्यधिक आवश्यक है। विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। जिसे ध्यान में रखते हुए शासन में एनटीपीसी को तलाईपाली कोयला खदान आबंटित की है। खदान को सुचारु रूप से चलाने एवं कोयले के वैकल्पिक परिवहन हेतु खदान से कोटरीमाल तक सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है। सड़क चौड़ीकरण के फलस्वरूप स्थानीय जनता के यातायात की सुविधा पूर्व से बेहतर होगी। सड़क चौड़ीकरण से ग्रामवासियों की बाजार, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं जिला मुख्यालय तक पहुँच सुगम हो जायेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। यह अधिग्रहण लोक हित में किया जा रहा है एवं इसका उद्देश्य जनसामान्य की सुविधा को बढ़ाना है अतः यह प्रस्तावित अर्जन सद्भाविक एवं आवश्यक है। निश्चय ही प्रस्तावित अधिग्रहण से लोक अभियोजन की पूर्ति होती है।

(2) प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति की कोई क्षति नहीं हो रही है, प्रभावितों की भूमि बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है जिससे उन पर कोई अत्यधिक विपरीत परिणाम पड़ने की आशंका नहीं है और प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकार एवं पुनर्स्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति की जा रही है फलस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ हानि की तुलना में कहीं अधिक है।

(3) चूंकि प्रचलित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है अतः वैकल्पिक भूमि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है साथ ही योजना अनुसार ही सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जो न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल है।

(4) विभाग के पास पूर्व में अर्जित की गई कोई भी अनुपयोगी भूमि नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु है। अर्जन से लाभ अत्यधिक है, हानि नगण्य है। वैकल्पिक भूमि का प्रश्न ही नहीं उठता एवं न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो कि आवश्यक है फलतः विशेषज्ञ दल प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है।



श्री. सुधीर दाण्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ



श्री. एस. एम. दीक्षित
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ




श्री. ए. के. दीवान
तकनीकी विशेषज्ञ



श्रीमती आशा शिव शर्मा
जन प्रतिनिधि



श्री. राधेश्याम राठिया
जन प्रतिनिधि



श्री दीपक सोनी
गैरशासकीय सामाजिक वैज्ञानिक



डॉ० मुकेश गोस्वामी
गैरशासकीय सामाजिक वैज्ञानिक